जिले में सांस्कृतिक, जागरूकता व विविध कार्यक्रमों के साथ हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन, प्रतिभागियों को दिया गया पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र

रायगढ़। जिले में 11 जनवरी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन कार्यक्रम पुलिस सामुदायिक भवन रायगढ़ में संपन्न हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम आयुक्त सुमित मिश्रा, विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर दुष्यंत राजस्त, उप पुलिस अधीक्षक (आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू.) निकिता तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरूवात लोक कला मंच (नांचा) के कलाकारों के यातायात जागरूकता संबंधी नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत से प्रारंभ हुआ।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर दुष्यंत राजस्व अपने उद्बोधन के जरिए सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम को रायगढ़ पुलिस का सफल आयोजन बताये। वे बताये कि सड़क सुरक्षा सप्ताह दौरान परिवहन विभाग रायगढ़ एवं यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से लर्निंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें 386 नए वाहन चालकों को कल लर्निंग लाइसेंस वितरण किया गया था। कल शिविर में कई वाहन चालक लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किये थे जिन्हें समय के अभाव से लायसेंस नहीं मिल पाया था ऐसे सैकड़ों नए वाहन चालकों को आज आरटीओ ऑफिस बुलाकर उन्हें लर्निंग लाइसेंस प्रदाय किया गया है। परिवहन अधिकारी/संयुक्त कलेक्टर दुष्यंत बताए कि कलेक्टर रानू साहू मैडम का निर्देश है कि इस प्रकार आगे भी शिविर लगाए जाएं जिससे अधिक से अधिक नए वाहन चालकों को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो और वे आगे स्थाई लाइसेंस बनाकर वाहन चलावे। कार्यक्रम के मंच से संयुक्त कलेक्टर दुष्यंत द्वारा पुनः दुर्घटनाओं का कारण व सावधानी बरतने उपस्थित लोगों का बताए कि दुपहिया में वाहन चलाने वाले एवं पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाएं तथा चार पहिया में ड्राइवर के साथ यात्रा करने वाले भी सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। वे बताएं कि देखा गया है कि रात में लंबे समय तक वाहन चलाने के दौरान झपकी लेने के कारण भी एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे में रात में वाहन चलाने से बचें, अपर/डिपर लाईट का उचित प्रयोग करें और मंच से उन्होंने एक विशेष बात कही की यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि सड़क पर बरती गई लापरवाही से हुई दुर्घटना में आपके परिवार या किसी अन्य के परिवार परिवार को जिंदगी भर का नुकसान झेलना पड़ सकता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा द्वारा आयोजन के लिए रायगढ़ पुलिस तथा सड़क सुरक्षा सप्ताह में सहभागिता निभाने वाले संस्थानों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस के बच्चे, नुक्कड़ नाटक के कलाकार, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, मीडिया के साथियों समेत शहरवासियों को धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसे समझे और इस सप्ताह में बताए गए यातायात नियमों को अपने लाइफ में फॉलो करें। उन्होंने फिर एक बार उपस्थित बच्चों से बोले कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा यात्रा करते समय अपने पेरेंट्स अथवा नजदीकी रिश्तेदार को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने बोले क्योंकि करीबियों के कहने पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह दौरान विविध प्रतियोगिताओं के विजयी बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के साथ 8वें स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। रायगढ़ पुलिस की ओर से उप पुलिस अधीक्षक निकिता तिवारी द्वारा जिला प्रशासन, परिवहन विभाग जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रिानिक मीडिया, दिव्य शक्ति महिला समूह, फॉर्टिस जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल ट्रामा सेंटर पूंजीपथरा, एनजीओ फास्ट्रेक कंप्यूटर एंड वेलफेयर सोसायटी, श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन संस्थान रायगढ़, नाट्य कला मंच (नाँचा) के कलाकारों, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटर्स, मीडिया पार्टनर रेडियो मिर्ची, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस तथा स्कूली बच्चों, शिक्षकगण व तमाम वॉलिंटियर आभार व्यक्त किया गया जिनके सहयोग से सफलतापूर्वक जागरूकता सप्ताह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल डेनियल सर द्वारा किया गया।

जागरूकता सप्ताह दौरान रायगढ़ यातायात पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय एवं तहसीलों में विविध जागरूकता प्रोग्राम, रैली, स्वास्थ्य शिविर, नुक्कड़ नाटक, लर्निंग लाइसेंस कैंप, वाहनों पर रेडियम, रिफ्लेक्टर लगाने इत्यादि कार्य किए गए साथ ही थाना प्रभारियों द्वारा भी थाना स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा नगर में बाइक हेलमेट रैली निकालकर यातायात जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण भी किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा ट्रैफिक प्रभारी डीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर जागरूकता सप्ताह दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं के नाम क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले –

स्लोगन प्रतियोगिता जूनियर वर्ग-

अपेक्षा पटेल कक्षा सातवीं ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़, हुमैरा कौसर कार्मेल कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दृष्टि साहू कक्षा छठवीं जिंदल आदर्श ग्राम्य भारती हायर सेकेंडरी स्कूल किरोड़ीमल नगर, अरमान पटेल कक्षा आठवीं ओपी जिंदल स्कूल, जान्हवी पटेल कक्षा सातवीं ओपी जिंदल स्कूल, विशेष चक्रधारी कक्षा सातवीं सेंट माइकल पूर्व माध्यमिक स्कूल, इशिका गिरी कक्षा सातवीं इंडियन स्कूल, लवली अग्रवाल इंडियन स्कूल।

महत्वपूर्ण एवं खास

वार्ड क्रमांक 27 उप निर्वाचन के सर्व पार्षद अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का करें अंतिम लेखा दाखिल

रायगढ़। छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 के अनुसार निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा निम्न दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य है। जिसके तहत निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्मा-क), प्रोफार्मा क में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित समस्त मूल व्हाउचर, निर्वाचन व्यय का सार विवरण (प्रोफार्मा ख), शपथ पत्र (प्रोफार्मा ग) एवं बैंक खाता स्टेटमेंट अद्यतन स्थिति में। उपरोक्त समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा अभि प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि के अंदर अनिवार्यत दाखिल करें अन्यथा की स्थिति में छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग के अधीन निरर्हित किये जाने का प्रावधान है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन रायगढ़ ने वार्ड क्रमांक 27 के सर्व पार्षद अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में जमा करने हेतु कहा है। लेखा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज में निशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत रायगढ़ जिले के लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में नि:शुल्क गैर अवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 12 वीं कक्षा एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिणार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जायेगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में, उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ मोबाईल नं 8839878315 एवं 07762-299505 से संपर्क कर सकते हैं।

जनदर्शन में अपर कलेक्टर पाण्डेय ने सुनी लोगों की समस्याएं

रायगढ़। कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष प्रति सप्ताह मंगलवार को जनदर्शन का आयोजन होता है। जिसमें आवेदक अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन लेकर आते है। इसी क्रम में आज अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय की उपस्थिति में जनदर्शन में बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन लेकर पहुंचे थे। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर कंवर, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनदर्शन में आज दो दर्जन से अधिक आवेदक राशन कार्ड बनवाने संबंधी आवेदन लेकर आये थे। जिनमें से रायगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत नौरंगपुर के पवन कुमार पटेल का नि:शक्तजन एवं ग्राम-जुर्डा की हीराबाई कहरा का अंत्योदय अन्न योजना/ विशेष कमजोर समूह का मौके पर राशन कार्ड बनाकर प्रदाय किया गया। इसी तरह राममंदिर गली, बैकुण्ठपुर रायगढ़ निवासी निर्मल कुमार मरार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अथवा डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत नि:शुल्क दवा दिलाये जाने के संबंध में आवेदन लेकर आये थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सदा दिन दवाई खाना पड़ेगा। चूंकि वे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है और उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त आवेदन पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खरसिया तहसील के छोटे मुड़पार निवासी शंकर लाल चौहान जो कि दोनों पैर से विकलांग है, जो चलने-फिरने में असमर्थ है, उन्होंने ट्राय सायकिल की मांग की। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने उप संचालक समाज कल्याण विभाग को ट्राय सायकिल प्रदान करने के निर्देश दिए। तहसील खरसिया ग्राम-रतनमहका के दिव्यांग मनहरण राठौर शासकीय योजना के तहत निर्मित दुकान में से एक दुकान आबंटन करने हेतु आवेदन लेकर आये थे। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने उक्त आवेदन पर सीईओ जनपद खरसिया को नियमानुसार प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

18 चक्का ट्रेलर वाहन में 26 टन चोरी के कोयले के साथ आरोपी गिरफ्तार, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाई

- रायगढ़-पूंजीपथरा रोड में नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन कोतवाली पुलिस ने पकड़ा
- कोयला के अवैध रूप से फैक्ट्री में खपाए जाने की मिली थी सूचना

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबीर लगाकर चोरी का कोयला अवैध रूप से स्थानीय प्लांट में खपाये जाने की सूचना पर नाकेबंदी कार्यवाही कर पुराना जिंदल बेरियर उर्दना के पास एक 18 चक्का ट्रेलर वाहन को 26 टन लोड कोयला समेत पकड़ा गया है। ड्राइवर से पूछताछ में उसके पास कोयले का कोई कागजात नहीं पर चोरी का कोयला होने के संदेह पर पुलिस द्वारा ट्रेलर वाहन मय कोयला जप्त कर वाहन चालक पर कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 16.01.2023 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को मुखबिर से सूचना मिला की खरसिया-भूपदेवपुर होते हुए बिलासपुर पासिंग ट्रेलर वाहन में चोरी का कोयला पूंजीपथरा फैक्ट्री में लेकर ड्रायवर ले जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने से उपनिरीक्षक आर.एस. तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक सोहन साहू, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी के हमराह स्टाफ नाकेबंदी कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। देर शाम पुराना जिंदल बैरियर उर्दना के पास नाकेबंदी कर रही कोतवाली पुलिस की टीम संदेही द्वारा बताए गए 18 चक्का ट्रेलर वाहन सीजी 10 R-0651 को रोककर ड्राइवर से पूछताछ करने पर ड्राइवर अपना नाम राम भरोसी गौतम पिता छोटेलाल गौतम उम्र 40 वर्ष निवासी इटाहा देवीपुर थाना रायपुरा जिला चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला तथा बिलासपुर कोल डिपो से कोयला लेकर पूंजीपथरा जाना बताया। ड्राइवर से कोयला परिवहन के संबंध में कागजात की मांग करने पर ड्राइवर कोई कागजात नहीं होना बताया जिससे चोरी का कोयला होने के संबंध में ट्रेलर वाहन को वजन कराया गया जिसमें लगभग 26 टन कोयला कीमत रु.76,000 एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रेलर वाहन मय वाहन कागजात, ड्राइवर लाइसेंस जप्त कर आरोपी ड्राइवर राम भरोसी गौतम पर धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

किसानों को मिलेट फसल लेने के लिए करें प्रोत्साहित -सीईओ

- राजस्व पखवाड़ा का होगा आयोजन
- सीईओ मिश्रा ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने आज समय-सीमा की बैठक ली। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टाइलो मंडावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर राजीव पांडे उपस्थित रहे।

सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने समय-सीमा की बैठक में कहा कि जिले में मिलेट (मोटे अनाजों)के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के साथ ही विभागीय योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मिलेट फसलें जैसे रागी, कोदो-कुटकी का उत्पादन पहले मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित था। लेकिन आज इन फसलों के स्वास्थ्यकारी गुणों के कारण उपभोग बढ़ा है और बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो रहा है, शासन भी ऐसे फसलों का रकबा बढ़ाने लगातार कार्य कर रही है। किसानों के लिए भी ये फसलें अधिक मुनाफे वाली हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को अधिक से अधिक मिलेट फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया।

सीईओ मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग प्रमुख जल्द लंबित प्रकरणों का निराकरण करवा लें। उन्होंने इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों के प्रकरण ई-कोर्ट में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जाए। जिसमें राजस्व मामलों के निराकरण के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करें। सीईओ मिश्रा ने धान खरीदी व उठाव तथा चावल जमा के बारे में भी खाद्य अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने जारी डीओ के अनुसार धान का उठाव करने और चावल जमा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षधिकारी को स्कूलों में बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित करने के साथ ही उनसे आंसर राइटिंग का अभ्यास भी करवाएं। उन्होंने कहा कि अगला मेगा हेल्थ कैंप तमनार विकासखंड में किया जायेगा, अत: सभी विभाग अपनी तैयारी पूरी कर लें।

अवैध विद्युत कनेक्शन से हो रही दुर्घटनाएं रोकने वन विभाग चला रहा है संवेदना अभियान- बैठक में डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत ने बताया कि क्षेत्र में वन्य जीवों के अवैध शिकार के रोकथाम जिसमें मुख्य रूप से अवैध विद्युत कनेक्शन से हो रही दुर्घटनाओं, वन्य जीवों की मृत्यु और जनहानि के रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संवेदना अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वन विभाग साथ ही पुलिस, विद्युत व राजस्व विभाग के मैदानी अमले को समन्वय से कार्य करना होगा। सीईओ मिश्रा ने इसके लिए सूचना तंत्र विकसित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए।

धारदार हथियार लहरा रहा युवक गिरफ्तार, घरघोड़ा पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 16.01.2023 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर रोड घरघोडा बंगाली ढाबा पास एक व्यक्ति को धारदार हथियार को लहराते हुए पकड़ा गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एक लोहे का धारदार हथियार को बीच रोड में खडे होकर लहरा रहा है जिससे आमजन एवं राहगिरों में भय व्याप्त हो रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी से सुरक्षा पूर्वक धारदार हथियार को अपने कब्जे में लेकर आरोपी युवक को थाने लाया गया जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम - मोनू टण्डन पिता जग्गू टण्डन उम्र 19 वर्ष सा. कयाघाट बाबाकुटी के पास चौकी जूटमिल थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ का होना बताया। आरोपी से विधिवत् अवैध हथियार की जप्ती कर आरोपी के कृत्य पर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के निर्देशन पर कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, आरक्षक उधो पटेल की अहम भूमिका रही है।

स्कूटी पर महुआ शराब परिवहन कर रहे दो युवक गिरफ्तार

- आरोपियों से 40 लीटर पन्नी पाउच महुआ शराब और स्कूटी जब्त, पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेन्द्र एसैया के नेतृत्व में पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आज मुखबिर सूचना पर स्कूटी में शराब परिवहन कर रहे दो आरोपियों को ग्राम तुमीडीह नहर पार पुलिया के पास रेड कर पकड़ा गया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम छर्राटांगर तरफ जाने वाली रास्ते से दो लोग बिना नंबर का नीला रंग का जुपिटर स्कुटी वाहन में सवार होकर बीच में जुट बोरी में पन्नी पाउच में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री करने के लिए तुमीडीह तरफ लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ग्राम तुमीडीह नहर पार पुलिया पास जाकर रेड किये जो दो व्यक्ति एक बिना नंबर का नीला रंग के जुपिटर स्कुटी में सवार थे, पीछे बैठे व्यक्ति जुट बोरी में शराब रखकर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनके बोरी को चेक करने पर बोरी के अंदर 40 नग पन्नी के पाउच में प्रत्येक में एक-एक लीटर भरी हुई महुआ शराब मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर स्कुटी को चला रहे आदमी युवक नाम जयसुर्या मांझी पिता सुकेश्वर मांझी उम्र 19 साल साकिन ग्राम तुमीडीह थाना पूंजीपथरा और पीछे बैठे बोरी में शराब रखा युवक अपना नाम- सुरेन्द्र मांझी पिता घुराऊ मांझी उम्र 19 साल साकिन ग्राम कचकोबा थाना तमनार, जिला रायगढ़ का होना बताये। दोनों को शराब बिक्री और परिवहन करने का नोटिस दिया गया जिनके पास कोई कागजात नहीं थे। मौके पर देहाती नालसी शराब रेड कार्रवाई कर आरोपियों से शराब व वाहन जप्त किया गया। थाना पूंजीपथरा में आरोपियों पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेन्द्र एसैया के नेतृत्व में शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक अशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक राम प्रसाद यादव एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं अवैध शिकार को रोकने वनमंडल चला रहा संवेदना अभियान

रायगढ़। धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं अवैध शिकार को रोकने के संबंध में व्यापक स्तर पर संवेदना अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। संवेदना अभियान का मुख्य उद्देश्य वनमंडल स्तर पर वन्यप्राणियों एवं अवैध शिकार की रोकथाम हेतु मुख्य रूप से अवैध विद्युत कनेक्शन से वन क्षेत्रों में शिकार के उद्देश्य से हो रही वन्यप्राणियों, व्यक्तियों और पालतू पशुओं की असमय मृत्यु की रोकथाम करना है।

संवेदना अभियान के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीणों को वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के बारे में अवगत कराना है। अवैध तरीके से जंगल में शिकार के उद्देश्य से बिछाए जाने वाले जीआई तार से होने वाले वन्यप्राणियों के नुकसान, स्थानीय ग्रामीणों की जन हानि और पशुधन के नुकसान के संबंध में अवगत कराना है। संवेदना अभियान के अंतर्गत ग्रामीणा को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन अपराध, सजा के प्रावधानों आदि से अवगत कराना है और अपराध घटित होने से पूर्व ग्रामीणों को इसकी गंभीरता के बारे में अवगत कराना है। वन्यप्राणियों की सुरक्षा एक नैतिक और साझा जिम्मेदारी है। संवेदना अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग, बिजली विभाग और राजस्व विभाग आदि से पत्राचार कर आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करना है।

संवेदना अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिवधियां संचालित की जाएगी। जिनमें वन क्षेत्रों में अवैध रूप से शिकार के उद्देश्य से अवैध विद्युत तार फैलाने वालों की पहचान करना, उनको समझाईश देना और समय पूर्व उनको अपराध करने से रोकना है। इसी तरह ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर स्थानीय ग्रामीणों को अवैध विद्युत तार से होने वाले नुकसानी के बारे में चर्चा करना और ग्रामीणों को वन्यप्राणी सुरक्षा शपथ दिलाना। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और उन वन क्षेत्रों में नियमित गश्त करना, एंटी स्नेयर वॉक कर अवैध विद्युत तार कनेक्शन, मानक ऊंचाई से कम के बिजली कनेक्शन को बिजली विभाग के सहयोग से सुधार करना। हाथी उपस्थिति के नजदीकी गांवों में प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणों को शिकार न करने हेतु मुनादी करवाना और स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से अवैध शिकार करने वालों की पहचान करना और सममझाईश देना। वन्यप्राणियों का शिकार करने वालों की सूचना देने वाले तथा सही सूचना पर अपराधी पकड़े जाने की स्थिति में सूचना देने वाले का नाम और पहचान गुप्त रख कर पारितोषिक वितरण करना। वनक्षेत्रों के आस-पास के विद्यालयों में जाकर वन विभाग द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को वन्यप्राणियों के विषय पर जागरूक करना और वन्यप्राणी सुरक्षा शपथ दिलाना। वाइल्ड लाईफ हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार करना। पॉम्प्लेट, दीवाल लेखन, चलचित्र, मुनादी, जागरूकता रैली, सोशल मीडिया, जन प्रतिनिधियों, एनजीओए स्थानीय मीडिया, सजग ग्रामीणों और अन्य विभागों के सहयोग से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और वन्यप्राणियों की सुरक्षा में सहयोग प्राप्त करना है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480